तुरंत रिलीज़ हेतु

9 जून 2020

संपर्क करें

मेघन पॉवर्स, meghan.powers@illinois.gov

पैट्रिक लाफलिन, patrick.laughlin@illinois.gov

प्रिट्ज़कर (PRITZKER) प्रशासन ने शुरू किया कोविड-19 (COVID-19) ग्रीष्मकालीन युवा रोज़गार कार्यक्रम

जिन परिवारों को संघीय कोविड-19 (COVID-19) राहत नहीं मिली है उनके लिए भी IDHS ने आप्रवासी परिवार सहयोग परियोजना शुरू की है

शिकागो – इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़, IDHS) ने आज इलिनॉय के निवासियों को अत्यावश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार किए गए दो कोविड-19 (COVID-19) प्रतिक्रिया कार्यक्रमों की घोषणा की – जोख़िम में मौजूद 2,000 से भी अधिक युवाओं के लिए एक ग्रीष्मकालीन युवा कार्यक्रम और 3,600 से भी अधिक ऐसे परिवारों के लिए आप्रवासी परिवार सहयोग परियोजना जो संघीय कोविड-19 (COVID-19) राहत एवं बेरोज़गारी बीमा से सामान्यतः वंचित हैं या उसके लिए अपात्र हैं।

IDHS की सचिव ग्रेस बी. हू (Grace B. Hou) ने कहा, "IDHS का अस्तित्व उन निवासियों के सहयोग के लिए है जो सबसे अधिक ज़रूरतमंद हैं और जिन्हें संसाधन और अवसर नहीं मिले हैं। कोविड-19 (COVID-19) की प्रतिक्रिया में, हमने बेघरी झेल रहे लोगों, अशक्तताओं से ग्रस्त लोगों, और घरेलू हिंसा के पीड़ितों के संरक्षण एवं उनकी सहायता के लिए अतिरिक्त संसाधन काम पर लगाए हैं। ये दो अतिरिक्त परियोजनाएं हमारे कार्य को हाशिये पर मौजूद समुदायों तक पहुंचाती हैं और इस अत्यधिक कठिन समय में उन्हें थोड़ी राहत प्रदान करती हैं।"

ग्रीष्मकालीन युवा रोज़गार परियोजना

इलिनॉय आपराधिक न्याय सूचना प्राधिकरण (इलिनॉय क्रिमिनल जस्टिस इन्फ़ॉर्मेशन अथॉरिटी, ICJIA) के सहयोग के साथ एक कोविड-19 ग्रीष्मकालीन युवा रोज़गार कार्यक्रम (COVID-19 समर यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, C-SYEP) की सगर्व घोषणा करता है। इलिनॉय के 16 से 24 वर्ष के बहुत से युवा इन गर्मियों में रोज़गार हासिल करने की राह में उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 (COVID-19) ग्रीष्मकालीन युवा रोज़गार कार्यक्रम का कार्यान्वयन और प्रबंधन, संपूर्ण इलिनॉय में IDHS द्वारा वित्तपोषित युवा सेवा (यूथ सर्विसेज़) संगठनों द्वारा किया जाएगा।

युवाओं का यह समूह कोविड-19 (COVID-19) के कारण बंद होने के सबसे अधिक ख़तरे में मौजूद उद्योगों में नियुक्त कुल कार्यबल का 24% तक है। इस विपत्ति के हल के लिए, कोविड-19 (COVID-19) ग्रीष्मकालीन युवा रोज़गार कार्यक्रम अति निर्धन समुदायों और वैश्विक-महामारी के कारण सर्वाधिक हानि झेलने वाली काउंटियों में रहने वाले 2,200 निम्न-आय, अल्पसंख्यक एवं जोख़िम-में-मौजूद युवाओं को रोज़गार पाने में सहायता प्रदान करने प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम द्वारा सेवित युवाओं के लिए मुख्य उद्देश्य आवश्यक रोज़गार-योग्य कौशलों का विकास करना और प्रवेश-स्तरीय कार्य अनुभव अर्जित करना होगा।

कार्यक्रम के अनुदानग्राही ग्रीष्मकालीन कर्मचारियों की आवश्यकता वाले स्थानीय नियोक्ताओं के साथ साझेदारी करेंगे। भाग लेने वाले युवाओं को आयु-उपयुक्त, योग्यता-उपयुक्त, और अनुभव-उपयुक्त कार्य-आधारित अधिगम (सीखने के) अवसरों, करियर विकास अनुभव अवसरों, या प्रशिक्षुता-पूर्व (प्री-अप्रेंटिसशिप) कार्यक्रमों में काम दिया जाएगा।

उक्त कार्यक्रम के लिए वे 16-24 वर्षीय इलिनॉय-वासी युवा पात्र हैं जो निम्न-आय हैं और/या जोख़िम-में-हैं तथा जो नियुक्ति से पहले I-9 प्रदान कर सकते हैं। IDHS को आशा है कि शैम्पेन (Champaign); कुक (Cook); लेक (Lake); मैकन (Macon); मैकलीन (McLean); पेओरिआ (Peoria); सेंट क्लेयर (St. Clair); स्टिफेन्सन (Stephenson); और विनेबैगो (Winnebago) काउंटियों में 30 परियोजनाओं तक का वित्तपोषण होगा।

आप्रवासी परिवार सहयोग परियोजना

इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़, IDHS) और आप्रवासी वित्तपोषक सहयोग-समूह (इमिग्रेंट फ़ंडर्स कोलैबोरेटिव, IFC) ने कोविड-19 (COVID-19) आप्रवासी परिवार सहयोग परियोजना शुरू की है जो इलिनॉय के ऐसे आप्रवासियों को वैश्विक-महामारी से संबंधित आपातकालीन सहायता वित्तपोषण प्रदान करेगी जो कोविड-19 (COVID-19) के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप बेरोज़गारी, आय की हानि, चिकित्सा लागतों, और भोजन एवं आवास की असुरक्षा/अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं और जो किसी भी संघीय वित्तपोषी राहत के लिए अपात्र हैं, भले ही उनकी आप्रवासन स्थिति कुछ भी हो। IDHS इस प्रयास के लिए $20 लाख समर्पित करेगा और IFC, जो एक निजी फ़ाउंडेशन वित्तपोषकों का सहयोग-समूह है, परियोजना की सहायता के लिए आरंभिक $750,000 जुटा रहा है।

इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) की सचिव ग्रेस हू (Grace Hou) ने कहा, "IDHS, निजी परोपकारी साझेदारों के साथ मिलकर, उन परिवारों के सहयोग के लिए हमारे संसाधनों का लाभ उठा सकता है जो स्पष्ट रूप से संघीय राहत वित्तपोषण से वंचित रखे गए हैं। आप्रवासी हमारे समाज में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं और वे संपूर्ण इलिनॉय राज्य में हमारे समुदायों के ताने-बाने का निर्माण करते हैं। IDHS को इस संकट में इलिनॉय के आप्रवासी समुदाय की सहायता के लिए कोविड-19 (COVID-19) आप्रवासी परिवार सहयोग परियोजना पर हमारे साझेदारों के साथ मिलकर कार्य करने पर गर्व है। हम चाहते हैं कि हर कोई जाने कि सहायता मौजूद है – हर उस व्यक्ति के लिए जिसे यह चाहिए।"

जहां बहुत से इलिनॉय वासियों को कोरोनावायरस सहायता, राहत, एवं आर्थिक सुरक्षा अधिनियम (कोरोनावायरस एड, रिलीफ़, एंड इकॉनमिक सिक्यॉरिटी एक्ट, CARES अधिनियम (एक्ट)) के आधार पर संघीय आर्थिक प्रभाव भुगतान से सहयोग प्राप्त है, वहीं बहुत से आप्रवासियों को इससे बाहर रखा गया है। यह परियोजना इस फ़ासले को भरने में सहायता देगी और इलिनॉय के आप्रवासी परिवारों को अत्यावश्यक प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करेगी।

IDHS के योगदान के साथ, इलिनॉय आप्रवासी एवं शरणार्थी अधिकार गठबंधन (इलिनॉय कोएलिशन ऑफ़ इमिग्रेंट एंड रेफ़्यूजी राइट्स, ICIRR) 60 से भी अधिक समुदाय-आधारित संगठनों और इलिनॉय स्वागत केंद्रों (वेलकमिंग सेंटर) के राज्य-व्यापी नेटवर्क के माध्यम से वित्तपोषण प्रदान करेगा और उक्त संगठन एवं केंद्र,

परिवारों की पहचान करेंगे, उनकी पात्रता की पुष्टि करेंगे, और कार्यक्रम में उन्हें नामांकित करेंगे। फिर इन साझेदारों के माध्यम से आप्रवासियों के 3,600 से भी अधिक प्रभावित परिवारों को वित्तपोषण वितरित किया जाएगा, और इस प्रक्रिया में सबसे कम आय वाले परिवारों पर फ़ोकस किया जाएगा। IFC अपने आरंभिक निवेश के अतिरिक्त भी फ़ंड जुटाना जारी रखेगा।

सहायता हेतु पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंड संतुष्ट करने होंगे:

- वे इलिनॉय के निवासी हों।
- कोरोनावायरस (COVID-19) वैश्विक-महामारी के कारण उनकी आय बाधित हुई हो (नौकरी चली गई हो या घंटे घटा दिए गए हों)।
- वे संघीय प्रोत्साहन या बेरोज़गारी बीमा के पात्र न हों।

उन परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी आय संघीय निर्धनता स्तर के 200% से कम है।

लैटिनो पॉलिसी फ़ोरम की कार्यकारी निदेशक सिल्विया पुएंते (Sylvia Puente) ने कहा, "इस संकट से पहले, इलिनॉय के आप्रवासी समुदाय एवं अश्वेत समुदाय स्वास्थ्य, आवास, एवं वित्तीय अरक्षितताओं और असमानताओं से पहले से ही पीड़ित थे। कोविड-19 (COVID-19) आप्रवासी परिवार सहयोग परियोजना जैसे सहायता कार्यक्रम उन लोगों के लिए एक आवश्यक पहला कदम हैं जिन्हें राज्य में आर्थिक योगदान देने के बावजूद प्रोत्साहन राहत वित्तपोषण नहीं मिला था। इस पहल से हजारों परिवारों को अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन मिलेंगे।" लेटिनो पॉलिसी फोरम की कार्यकारी निदेशिका सिल्विया पुएंते ने कहा।

इन निधियों के अतिरिक्त, आप्रवासियों के पात्र बच्चों हेतु SNAP, वैश्विक-महामारी EBT, महिलाओं, नवजातों, और बच्चों (WIC) के लिए विशेष पूरक पोषण कार्यक्रम, और मॉम्स एंड बेबीज़ – जो गर्भवती महिलाओं के लिए एक अस्थायी स्वास्थ्य देखभाल कवरेज है – की पात्रता के लिए भी आप्रवासियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। कोविड-19 (COVID-19) आप्रवासी परिवार सहयोग परियोजना, स्वागत केंद्रों (वेलकमिंग सेंटर्स) के लिए IDHS की मौजूदा प्रतिबद्धताओं का भाग है और यह इलिनॉय के एक स्वागतकारी राज्य (वेलकमिंग स्टेट) होने के इतिहास की नींव पर टिकी है। इलिनॉय वर्तमान में आप्रवासियों को विभिन्न प्रकार की

सेवाएं प्रदान करता है, जैसे संपूर्ण राज्य में स्थित स्वागत केंद्रों (वेलकमिंग सेंटर्स) पर संकट हस्तक्षेप एवं स्वास्थ्य, भोजन तथा आवास संबंधी आवश्यकताओं हेतु सेवाएं।

###

कोविड-19 (COVID-19) आप्रवासी परिवार सहयोग परियोजना के बारे में जानकारी www.DHS.Illinois.gov/Welcome पर उपलब्ध है

ग्रीष्मकालीन युवा रोज़गार कार्यक्रम के बारे में जानकारी http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=103366 पर उपलब्ध है